

SHRI S. S. KOTHARI : Coming back to the point, it was stated by one of the hon. Members that audit parties set up by the Auditor General would also conduct a propriety-cum-efficiency audit. But that is only a post-mortem. What is necessary is that foreign collaborations are properly scrutinised at the stage when they are undertaken. Therefore, if there is a Central Cell in the Government—this is the point I am making—that authority should scrutinise the agreements in the final form.

SHRI P. M. SAYEED (Laccadive Minicoy and Aminidivi Islands): Sir, there is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : The Bell is being rung... Now there is quorum. He may continue.

SHRI S. S. KOTHARI : May I submit that it is public money which is being lost in millions? Neither Government nor its officers in the Bureau of Public Undertakings appear to be concerned about it. They do not even want to take the powers that this wholesome Bill is giving them which would ensure that proper agreements are entered into and are very properly scrutinized.

The basic point that I am trying to emphasise is that in the final stages the contracts should be scrutinized by the central authority envisaged in the Bill. I am reminded of the German who remarked that after observing the chaotic and irresponsible functioning of this Government, he was convinced that God does exist because only God is running the administration in this country, not this Government.

The Minister of State, Mr. Sethi, is not prepared to accept this Bill. Let the Government be warned that next time there are defective agreements we are going to hold him and his ministry specifically responsible for those defects because he has not agreed to accept the provisions of the Bill...

SHRI P. C. SETHI : That is what I cannot agree to. I do not want to take that responsibility.

SHRI S. S. KOTHARI : ... which would provide for a kind of automatic internal

check which only means that what is done by one officer is judged by another and it is done in the automatic course. The agreement which is finalised by a public undertaking comes in its final draft form to the central authority which would check it, scrutinise it and finalise it. If that is done and if lacunae remain, it is the Government which will be responsible for the loss which would occur.

May I say that the Government would have done a great service to the public sector, to itself and to the country by accepting this Bill which, after the amendments I have made, has become flexible, and instead of inconveniencing the Government would only add to the security and safeguarding of public interest and public moneys which are the sacred trust with this Government.

Since the Minister says that he agrees with the spirit of the Bill and he would try to see how best he can issue administrative instructions to ensure that proper agreements are entered into and since the Minister has requested that I withdraw the Bill, I bow to his wishes and I withdraw the Bill with all good spirit.

MR. CHAIRMAN : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill...

HON. MEMBERS : Yes.

The Bill was, by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN : We shall now take up the next Bill—Constitution Amendment Bill of Shri Kanwar Lal Gupta.

16.20 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 75 and 164)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) :
सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेन्ट बिल, 1968 प्रस्तुत करता हूँ। इस विधेयक में

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मैंने केवल एक ही बात कही है कि जो व्यक्ति बगैर चुने हुए 6 महीने तक मंत्री बनता है, चाहे राज्य सरकारों में हो या केन्द्र में हो, 6 महीने के बाद चुनाव लड़ कर आये, तब मंत्री बने, अन्यथा न बने। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी समय आप किसी व्यक्ति को मंत्री बना दें जो लोक सभा या विधान सभा का सदस्य न हो तो 6 महीने के बाद उसे चुनाव लड़कर लोक सभा का ही सदस्य होना चाहिये, राज्य सभा का सदस्य नहीं होना चाहिये। इसी तरह से विधान सभा का सदस्य होना चाहिये, विधान परिषद् का सदस्य नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, इस बिल को सदन के सामने रखने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे देश के संविधान ने प्रजातन्त्र को अपनाया है और प्रजातन्त्र का मतलब यह बताया गया है—डेमोक्रेसी आफ दी पियुपिल, बाई दी पियुपिल, फौर दी पियुपिल। अब अगर यह लोगों के लिये है तो लोगों द्वारा चुने जाने के बाद उनके हाथ में अधिकार जाने चाहियें, जो चार दरवाजे से आकर मंत्री बन जाते हैं उनके हाथ में अधिकार नहीं रहना चाहिये। चूँकि यह विधेयक तो एक सीढ़ी है—लेकिन मोटे तौर पर मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि कोई भी मंत्री ऐसा नहीं बनना चाहिए जो राज्य सभा का सदस्य हो या विधान परिषद् का सदस्य हो। मंत्री केवल उन्हीं को बनाना चाहिए जो सीधे चुने हुए हों, लोक सभा के सदस्य हों या विधान सभा के सदस्य हों।

सभापति जी, जैसा मैंने अभी कहा कि यह विधेयक तो एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोगों की भावनाओं की कद्र करनी है, लोगों की आकांक्षाओं की कद्र करनी है तो हमें इस विधेयक का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति चुने हुए नहीं होते, उनको नही मालूम होता कि लोगों की

भावनाएं क्या हैं। अगर चुनाव हुआ व्यक्ति मंत्री बनता है और वह लोगों की भावनाओं के अनुसार काम नहीं करता तो पांच साल के बाद जब नया चुनाव होगा, लोग उसको उठा कर फेंक सकते हैं, लेकिन अगर कोई राज्य सभा का सदस्य मंत्री बना दिया जाए या विधान परिषद् का सदस्य मंत्री बना दिया जाए, तो उसे पता ही नहीं होगा कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। वह कभी भी लोगों के घरों में घोंट मांगने नहीं गया, लोगों की पल्स (नब्ज) क्या है—यह जानना जरूरी है। हमारे देश में एडल्ट फ्रैंचाइज सिस्टम है, जिससे उसको पहचाना जा सकता है, उसको लोगों के घरों पर जाना पड़ेगा और वह जान सकेगा कि लोगों कि तकलीफें क्या हैं। लेकिन जिसने लोगों की नब्ज को कभी न पहचाना हो, चोर दरवाजे से घुस आया हो, चूँकि वह किसी का प्यारा है, फेवरेट है या पोलिटीकल स्टंट से उसको मंत्री बनाना जरूरी है—मैं समझता हूँ कि यह प्रजातन्त्र की भावना के विरुद्ध है और हमारे देश में यह चीज नहीं चलनी चाहिए। हमारे देश के संविधान ने जब प्रजातन्त्र को अपनाया है, तो हमें उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिये, लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।

अभी हाल में क्या हुआ—आपको पता है, सभापति महोदय, हमारी लोक सभा के एक माननीय सदस्य हैं—जब बिहार में गड़बड़ होने लगी तो एक व्यक्ति को वहां पर मुख्य मंत्री बनाया गया—केवल दो दिन के लिए और किस काम के लिए—उनके सामने एक ही काम था कि एक आदमी को नोमिनेट करना था जो वहां की विधान सभा का सदस्य नहीं था। दो दिन की चीफ मिनिस्ट्री में उन्होंने इतना ही काम किया—मण्डल साहब को वहां पर नोमिनेट किया गया, क्यों कि सरकार को विधान परिषद् में नोमिनेट करने का अधिकार है और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा

दे दिया और मण्डल साहब को मुख्य मंत्री बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ—क्या यह हमारे देश के प्रजातन्त्र की भावना के अनुसार है? क्या इस प्रकार से बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुसार यह बात है? मेरा कहना है कि नहीं है। यह जो नामजदगी के चोर दरवाजे से लेकर के करोड़ों लोगों पर थोपना, यह डिमोक्रेसी की भावनाओं के विपरीत है। मेरा कहना है कि जितनी जल्दी इस चीज को समाप्त किया जाये उतना ही अच्छा है। यह केवल बिहार में ही नहीं हुआ, और प्रान्तों में भी हुआ। जैसे सन् 67 के बाद देश का नक्शा बदल गया, कई राज्य सरकारें आई, आने के बाद टूटीं, फिर बनीं और फिर बिगड़ीं। यह उतार चढ़ाव राज्य सरकारों में चलता रहा। वहां हमने देखा कि लोग बिकने लगे। एक आम सौदा हुआ और बोलियां बोली जाने लगीं। एक पार्टी इसमें नंगी है, ऐसा मैं नहीं कहता। शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जो इसमें शामिल न हो। हर एक ने खुल करके बोली लगाई। ... (व्यवधान) ... आचार्य जी जनसंघ के लिए कह रहे हैं। मैं कहता हूँ जनसंघ भी अपवाद नहीं है। तो यह बोली भी कैसे लगी? एक आदमी विधान परिषद का सदस्य है या नहीं है लेकिन अगर उसके चार मेम्बर असेम्बली में हैं तो उसको मंत्री बना दिया गया। जिन लोगों को जनता ने चुनावों में रिजेक्ट करके नाकामियाब कर दिया, उनको मंत्री बना दिया गया और उस मंत्री को 6 महीने के बाद विधान परिषद् का सदस्य बना दिया गया। इस तरीके से एक राज्य में नहीं बल्कि अनेकों राज्यों में हुआ। चुनाव में जिनको जनता ने ठुकराया लेकिन अगर उनके पास दो चार सौदे करने की कंपैसिटी थी तो उनको मंत्री बना दिया गया। मेरे इस विधेयक का मतलब यही है कि इस प्रकार चोर दरवाजे से जनता के ऊपर जो लोगों को लादा जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाये। लोगों की जो

भावनाएं हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। जो लोगों की नब्ज को जानते हैं उन्हीं के हाथ में जनता की लगाम देनी चाहिए।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : चोर दरवाजा क्यों नहीं बन्द कराते हो।

श्री कंवरलाल गुप्त : उसी के लिए मेरा यह विधेयक है।

जब आपने बंगाल की विधान परिषद् समाप्त कर दी, पंजाब का अपर हाउस समाप्त कर दिया तो फिर बाकी राज्यों में क्यों नहीं समाप्त किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि केवल दो राज्यों में ही इसको लागू नहीं होना चाहिए बल्कि हर एक राज्य में, जहां पर अपर हाउसेज हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। जहां तक राज्य सभा का ताल्लुक है, वहां के किसी भी सदस्य को मन्त्री नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहली सीढ़ी यही है। इसके बाद अगर आप वह करेंगे तो हम भी उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आप बिल तो लाइये। मैं एकदम समाप्त करने के हक मैं नहीं हूँ बल्कि तजुर्बों के तौर पर पहले आप यह करें। राज्य सभा का कोई भी सदस्य, चाहे वह गुजराल साहब हों या कोई भी हो, उसे मन्त्री नहीं बनना चाहिए। हमने एक सिद्धांत मान लिया है और मेरा ख्याल है कि जब हमने बंगाल का अपर हाउस समाप्त किया या पंजाब का अपर हाउस समाप्त किया तो एक भी व्यक्ति इस सदन का ऐसा नहीं था जो कि उसके विरोध में रहा हो, हमने सर्वसम्मति से उसको पास किया। जब उसकी भावनाओं को, उसकी स्पिरिट को हमने मान लिया है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो विधेयक मैंने यहां पर पेश किया है उसकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए।

जिस तरह से राज्यों में हुआ कि मंत्रिमंडल बदलते गए क्योंकि एक मेजारिटी थी उसमें से कुछ लोग डेफेक्ट करके दूसरी तरफ चले

[श्री कंबरलाल गुप्त]

गए तो फिर सौदे होने लगे और नतीजा यह हुआ कि कभी यह सरकार और कभी वह सरकार । केन्द्र में सौभाग्य से अभी तक यह स्थिति नहीं थी । एक सरकार थी, उसमें स्टेबिलिटी थी । लेकिन अब सभापति जी, आपको तो ज्यादा मालूम है क्योंकि आप अखाड़े के बीच में हैं । हम लोग तो दर्शक हैं और दर्शक के नाते हम जानते हैं कि आज केन्द्र की स्थिति ' . . .

सभापति महोदय : हमें तो सभी अखाड़ों की बात मालूम है ।

श्री कंबरलाल गुप्त : तो आप पुराने खलीफा हैं ।

अभी यादव जी कह रहे थे कि दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम आब्जेक्टिवली देखते हैं । तो केन्द्र में जो स्थिति हो गई है उसमें यहां भी अस्थिरता पैदा हो गई है । सरकार पचास बार भी यह कहे कि चुनाव नहीं होंगे, पार्लमेन्ट नहीं तोड़ी जायेगी लेकिन जितना ही यह सरकार कहती है उतना ही लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है कि पार्लमेन्ट तोड़ी जा सकती है क्योंकि यह सरकार चलेगी नहीं, कभी भी डामाडोल हो सकती है । आज कम्युनिस्ट साथ दे रहे हैं लेकिन कम्युनिस्ट अपने भाई के भी नहीं होते, अपने रिश्तेदार के भी नहीं होते फिर इन्दिरा जी के कैसे हो सकते हैं । जब वह सौदा मांगेंगे ' (ब्यवधान) ' . . . अच्छी बात है बाप के भी नहीं होंगे । सभापति जी, ये कहते हैं कि बाप के भी नहीं हैं तो इन्दिरा जी के कैसे हो सकते हैं । तो जब वह सौदे की कीमत मांगेंगे और हो सकता है कि जब इनको लगे कि कीमत देना ठीक नहीं है या वह कीमत नहीं दी जा सकती है तो फिर यह सरकार पलट जायेगी । आज इन्दिरा जी की सरकार उन्हीं कम्युनिस्टों के रहम पर है । जब भी उनका रहमो करम खत्म हो जायेगा तो इन्दिरा जी की सरकार उलट जायेगी । तब दूसरा रास्ता यह होगा कि जो

लोग इस लोक सभा के सदस्य नहीं हैं उनको मंत्री बनाया जायेगा और तब यहां भी बोली-बोली जायेगी जैसे कि राज्य सरकारों में हुआ है । . . . (ब्यवधान) . . . कहते हैं कि डी० पी० मिश्र आ रहे हैं, सुब्रमनियम साहब आ रहे हैं, टी० टी०, बी० बी० और पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं । यह भी सौदेबाजी है । आज इन्दिरा जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुर्सी के साथ चिपके रहो तो मंत्री बन जाओगे । तो मेरा बिल यह है कि टी० टी०, बी० बी०, या सी० सी० किसी को भी आप मंत्री बनायें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन 6 महीने के बाद उसे लोक सभा का सदस्य जरूर बन जाना चाहिए । नहीं तो रणधीर सिंह कौन बुरे हैं ? वे चुने हुए हैं, नौजवान हैं, हरियाण के अपने अच्छे साथी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब सुब्रमनियम साहब मिनिस्टर बन सकते हैं, टी० टी० साहब मिनिस्टर बन सकते हैं जो कि दो बाद निकाले गए तो फिर रणधीर सिंह जी जो कि चुनकर आये हैं, जो कि कतार में खड़े हुए हैं उनके आगे वे लोग खड़े हो जायं, यह कहां तक मुनासिब है ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेम्बर ही वजहों से बढ़िया है ।

श्री कंबरलाल गुप्त : तो मेरा जो विधेयक है वह उन लोगों, जो कि कतार तोड़ करके पीछे से आगे आ जाते हैं उनके अधिकार को समाप्त करना चाहता है । जिन लोगों को जनता ने कतार में खड़ा किया है उन्हीं को मंत्री बनने का हक है, दूसरों को नहीं है । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री भी वही बनें जो कि सीधे चुने हुए हैं और मंत्री भी वही बनें । . . . (ब्यवधान) . . . मैं अधिक नहीं कहना चाहता । इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है, किसी दल का भी कोई सवाल नहीं है, केवल सिद्धान्त का सवाल है । मैं आशा करता हूं कि मेरे इस विधेयक का चारों तरफ से समर्थन होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक सदन के सामने रखता हूँ ।

MR. CHAIRMAN : I would like to make an announcement. The Prime Minister would like to make a statement on certain programmes relating to the economic development of Assam at 6 O' Clock today.

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि आज सदन में लोग नहीं हैं, अच्छा हो कि सोमवार को यह एनाउन्समेन्ट किया जाये । आज इसकी कोई अरजेन्सी नहीं है । बैठक के आखीर में इस तरह के इम्पाटेंट एनाउन्समेन्ट करना ठीक नहीं है । यह गलत तरीका है । सोमवार को करने में क्या दिक्कत है ?

SHRI N. SHIVAPPA : It should be made on Monday.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Yes, Sir, it should be made on Monday when most of the members are present in the House.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : It is very important. . . . (Interruption)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What is the urgency, I want to know. . . . (Interruption)

MR. CHAIRMAN : I have given my ruling. She will make the statement today. Motion moved:

"that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

इस बिल पर दो एमैंडमेंट हैं सकुंलेशन के लिये । एक तो श्री यशपाल सिंह का है और दूसरा श्री अब्दुल गनी डार का है लेकिन दोनों अनुपस्थित हैं ।

SHRI N. SHIVAPPA (Hassan) : Mr. Chairman, it is no doubt a very interesting thing that my friend has taken the pain to bring forward this Bill creating an occasion for a good comment on a very critical thing that the country is talking of today.

The framers of the Constitution had really taken this particular provision in its true spirit by putting the words "either House of Parliament" in article 75. The amendment sought now is that the words "Lok Sabha" be substituted in their place. This may not be correct. My hon. friend must have brought forward this Bill only with the intention of removing the feeling from which we have suffered and the country is suffering today because our rulers in these two decades were only talkers of non-violence, peace, dharma, unity, co-ordination, co-operation and many other similar terms in the dictionaries of words and they were the persons who broke all these things. They brought the party system into mockery; they brought Rajya Sabha into mockery; they brought the Upper Houses into mockery and they are trying to bring democracy into mockery today. And they are aware of this. They may not be angry towards me merely because I am bringing out certain things which is not beyond their experience. They are also going to their own people, their own kith and kin, their own partymen. If at all we have got any sense of responsibility as politicians and nationalists he is suggesting for their own colleagues not to behave like that. With all that they have not hesitated in misusing this particular power given under the provisions of the Constitution. The very misuse of this power perhaps brought these kinks of things to light today, thereby a discussion here, through this discussion to the press, through the press to the people and finally from among the discussion in the people as to what great men become great ministers here through the Rajya Sabha, through the backdoor then directly through the front door to the front benches, the Treasury Benches and how they keep on sticking to the chair for the particular period for which they are given the blessing by the Prime Minister. In these two decades the Constitutional provision has been misused and not properly used.

Why was it made? It was only to give a chance to a man of high calibre, of high technical qualifications, of a good sense, of some service and sacrifice, of some national integrity or who could at least give a guideline, even being a youngster, who could serve and set an example in democratic living and democratic adminis-

[Shri N. Shivappa]
trative set-up. Unfortunately, all our great rulers have taken this opportunity and congratulated the defeated friends, whether it may be Mr. Subramaniam or it may be Mr. T. T. Krishnamachari who might not have come here about whom I am not prepared to comment, or it may be number of people either in the State Legislature or in the Lok Sabha, and they are only making a game. Immediately after their complete rejection, outright rejection, by the people for their bad conduct as a politician or for their bad conduct as an ordinary human being, they come through the back-door.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam) : Your own leader was defeated and he came only through a bye-election.

SHRI N. SHIVAPPA : When he had been defeated, he did not ask for a seat in the Rajya Sabha but he went to the people again and came through a bye-election. That is a different thing. I do not want to wound the feelings of the hon. lady Member. What I am saying is that in regard to the constitutional provision, if it is for the sake of the people and the country, we should not distinguish ourselves as separate from the people and ignore the cause of the people and enjoy the privilege. We are not a privileged class for only getting the benefit. We have come here to serve the people. What is the service that we are doing? Would it be proper to take an opportunity of becoming a Minister through the back-door is a question that I want to put to my friends over there. We are here to serve the people.

What I want to submit is this. What is it that is going on? It is known to my friends over there. A person who is taking a seat not by going to the people but through the back-door is not a sincere man. I am very happy to say that some States have abolished the Councils in their States. Whether it is the Communist Party or the Swatantra Party or any other party, it is not a question of discriminating between a party and a party. It is a question of appreciating the spirit and the letter of the Constitution. Some States have

implemented it and proved the democratic system in the country.

What is it that my friends over there have proved in two decades is a question that I put to them. That is why we are now questioning the *bona fides* of them. How have they improved the constitutional position by giving seats to some personalities in the Rajya Sabha? They say, they are doing great service to the people there and from there, they come here.

What is the technical advice that any Minister has given in these two decades? Being a Member of the Rajya Sabha, he comes here as a Minister. The only convention of ours has been that he will not be given the Finance portfolio or the Defence portfolio or the Prime Ministership here or the Chief Ministership in the State. He can be in-charge of some other portfolio.

Now, I want to give an example here. Suppose there is a very eminent doctor. Our country is facing rapid growth of population today. It is very necessary that a technical man should come and occupy the chair of Ministership and give some technical advice. There may be a technical man who cannot have direct contact with the people.

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : Dr. Chandrashekhar is there.

SHRI N. SHIVAPPA : I am not referring to individuals. If Dr. Chandrashekhar is there, he will deserve my congratulations indirectly. My point is only this. Suppose a very eminent doctor is there who cannot go to the common people and get their appreciation and thereby get a good name and come to the Lok Sabha. He deserves some place here. His technique is very much wanted by the people of this country. If such a gentleman comes, he will be congratulated, his services will be taken and people will certainly appreciate his services. The Constitution framers also will be happy and they will think that somewhere their spirit is still hovering. They would not have cursed that in this year of Gandhi centenary this great organization will crumble to pieces and the people will fight amongst themselves and democracy would be brought to a mockery. Such

a thing would not have happened in this country. But the Upper House should not be a place for rejected persons. If they gain entry by the weapon of favouritism, by the weapon of currying some favour from the leader or the head of the Party, both at the Centre and the States, I do not support that. Without ability, without efficiency, without even services or sacrifices, if a man miserably defeated and rejected outright by the people, comes and sits here and becomes a Minister, it means a mockery of democracy. Such a thing should not happen merely because such things have happened in this country.

As a matter of practice, we cannot say that the other House should not get representation of able men. We cannot say that an able man, an efficient man, a technical man should not get an opportunity to become a Minister. That portion, on behalf of my Party, I am not prepared to concede.

So far as this Bill is concerned, I only want to mean and submit for consideration of this hon. House that there should be such a body and only to a limited extent, and in that body only a limited people, only those who have got the greatest ability and quality, quality for the best services to the people should get representation. They should not occupy Prime Minister's or Chief Minister's posts or any other important portfolio. But professionally technical people, if they have got that technical skill and if they have proved it to the satisfaction of the society and to the satisfaction of this hon. House, if the House has felt and if the leader has felt, there must be scope for these people to become members of Rajya Sabha and even become members of the Cabinet but should not hold Chief Minister or Prime Minister's post.

I thank you for giving me an opportunity to participate in this debate.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। श्री कंवर लाल गुप्त ने यह कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल रखा

है। मुझे खुशी है कि उनका दल जम्हूरियत में विश्वास करने लग गया है . . .

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : बहुत पहले से करता है। आपकी अज्ञानता है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : यह ठीक है कि इस बिल को उन्होंने पेश करके जनता की जो धारणायें हैं, उनको सामने लाये हैं। प्रजातन्त्र में महान वही व्यक्ति है जिसे जनता महान समझती है। जिस व्यक्ति को जनता चुनती नहीं है, जो चुनाव में जीत नहीं सकता है, उस व्यक्ति को महान नहीं कहा जा सकता है। यह जम्हूरियत का उसूल है, एक बड़ी सीधी सादी बात है। राजनीति में तथा और भी किसी स्फीयर में वह आदमी बड़ा है या महान है जिसे जनता चुन कर भेजे। इसलिए उस व्यक्ति को मंत्री बनने का कोई हक हासिल नहीं है जो व्यक्ति जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुन कर नहीं आता है . . .

श्री स० भो० बनर्जी (कानपुर) : गलत तरीके से जो चुना हो ?

श्री शिव नारायण : उसकी मिसाल आप हैं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : ज्ञात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किसी ज्ञात से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सिद्धान्त की बात है। जब हारे हुए लोगों को, हारे हुए व्यक्तियों को सरकार की शक्ति दे दी जाती है, सरकार की ताकत दे दी जाती है, तो जनता को सरकार के बारे में भी शंका होने लगती है। वे समझने लग जाते हैं कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में ताकत नहीं है बल्कि ताकत उन लोगों के हाथ में है जो चोर दरवाजे से आए हैं। अभी माननीय सदस्य ने बिहार का उदाहरण दिया था। वहां चीफ मिनिस्टर चोर दरवाजे से आए थे। जब वह चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उनकी नौकरी छूट गई तो फिर वह लोक सभा में आ गए। इस तरह

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

की जो बात है वह किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती है।

मैं समझता हूँ कि विधान परिषदें और राज्य सभा, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। इस बिल के अन्दर इसके बारे में कोई बात नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही हमारे देश के ऊपर सफेद हाथी की तरह हैं। इन पर बहुत अधिक खर्चा होता है। इनका कोई लाभ नहीं है। अगर हमको जम्हूरियत को जिन्दा रखना है अगर वाकई मैं हम जम्हूरियत को सही रास्ते पर डालना चाहते हैं तो इस लोक सभा के आप पांच सौ के बजाय सात सौ या आठ सौ या एक हजार जितने आप मेम्बर चाहें कर दें लेकिन हर व्यक्ति आना चाहिये जनता द्वारा चुन कर। जनता का जिस पर विश्वास हो वही आना चाहिये। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है, सही तौर पर जम्हूरियत का ठेकेदार वही बन सकता है, डेमोक्रेटिक होने का दावा वही कर सकता है, प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला वही हो सकता है। इस बिल के अन्दर जो दो बड़े कहे हैं उनका मैं इस समय समर्थन करता हूँ। हाउस इसको पास करेगा या नहीं यह मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इसका एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिये।

आप जानते ही होंगे एक बात। सभी अखबारों के सफे काले हुए इस बात को लेकर कि राज्य सभा के लिए एक-एक वोट दस-दस हजार रुपये में बिका है। मैं अखबार-नवीस होने के नाते यह बात आपको कह रहा हूँ। यह रिपोर्ट है कि दस दस हजार रुपये में एक वोट बिका है। जो लोग दस दस हजार रुपया एक एक वोट के लिए खर्च करके राज्य सभा में आते हैं, क्या उनका जम्हूरियत का हामी कहा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : यह लोक सभा के बारे में भी कहा जाता है कि कई

मेम्बर साहिबान ने लाखों रुपया खर्च किया है और तब वे आए हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : राज्य सभा के बारे में जब तक पक्की जानकारी न हो, तब तक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। लोक सभा के बारे में भी वैसा कहा जाता है। माननीय सदस्य राज्य सभा, लोक सभा को छोड़ कर सेंट्रल हाल की बात करें।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : राज्य सभा में तथा विधान परिषदों में आम तौर पर ज्यादा लोग वही आ पाते हैं जो दौलतमन्द होते हैं या बहुत होशियार होते हैं, अच्छे पालिटिशियन होते हैं, जो दाव पेंच खेल सकते हैं या खुशामद के जरिये किसी को राजी कर सकते हैं। वे लोग नहीं आ सकते हैं, जिनको वास्तव में वहां आना चाहिये, जैसे कोई टैक्नीकल आदमी हो, एक्सपर्ट हो, बड़ा इंजीनियर हो। अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं तो वे देश का भला कर सकते हैं, अपना कांट्रीव्यूशन करके देश को आगे ले जा सकते हैं। मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं करता हूँ, कांग्रेस हो, जनसंघ हो, स्वतन्त्र पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, होता यह है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर की खुशामद कर लेता है, तो उसको राज्य सभा में भेज दिया जाता है। यह जम्हूरियत के लिए और देश हित के लिए मुनासिब बात नहीं है। हम इस परम्परा की स्थापना करें कि मंत्रिमंडल में वही लोग आएँ जो सीधे चुनाव जीत कर आते हैं।

मंत्री महोदय से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वह इस चीज को सरकार की दृष्टि से न देखें, पार्टी की दृष्टि से न देखें। इस दृष्टि से देखें कि यह बात सही है या गलत है। इस दृष्टि से देखें कि जनता क्या चाहती है। माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि जो लोग जनता द्वारा चुन कर नहीं भेजे जाते हैं, वे जनता की नब्ब को टटोल नहीं

पाते हैं। जिन लोगों को जनता की नब्ज का पता नहीं है, उनको न तो केन्द्र में और न ही प्रदेशों में मंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई हक है।

17 hrs.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुवनी) : सभापति महोदय, इस विधेयक के द्वारा माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राज्य सभा और विधान परिषदों के सदस्य मंत्रि-मंडल में न रखे जायें। सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन जब देश में यह लहर चली हुई है कि विधान परिषदों को भंग कर दिया जाये, जब यह भी आवाज उठाई जाती है कि राज्य सभा को खत्म कर दिया जाये, तो फिर इस विधेयक का औचित्य कहाँ रह जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने इस मामले की जड़ तक पहुँचने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वह ऊपरी बातों में ही उलझ कर रह गये हैं। उन्होंने जम्हूरियत की बात कही है, लेकिन जम्हूरियत के पीछे जो भावना है, उसके जो बुनियादी सिद्धान्त हैं, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है।

माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर किसी व्यक्ति को विधान परिषद् का सदस्य नामिनेट करके चीफ़ मिनिस्टर बनने का मार्ग अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कामों से हमारा जनतंत्र विकृत होता है और उसकी भावना को ठेस लगती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को दूर करने के लिए वह तरीका ठीक नहीं है, जो कि माननीय सदस्य ने सोचा है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 329 में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर किसी चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है, तो इलैक्शन पेटिशन दायर करके उस चुनाव को रद्द किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी को डिफ़्रेक्ट कर जाता है, या जनता का उस पर विश्वास नहीं रहता है, तो उसके

चुनाव को रद्द करने की कोई भी गुंजायश आर्टिकल 329 में नहीं है। जब तक संविधान में पावर आफ़ रीकाल की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक न तो चुनाव रद्द हो सकता है और न ही डिफ़्रेक्शन को रोका जा सकता है। मैंने आर्टिकल 329 में परिवर्तन करने के लिए एक निजी विधेयक रखा है, जिसमें पावर आफ़ रीकाल की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर इलैक्ट्रेंट का एक-चौथाई भाग रिटर्निंग आफ़िसर को लिख कर दे देता है कि उसे अपने प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं है, तो उसका इलैक्शन वायड कर दिया जाये। मैं समझता हूँ कि हर एक जनतंत्र में यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दुनियाँ में जनतंत्र केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है, बल्कि बहुत से अन्य देशों में भी है, चाहे उसका रूप हमारे जनतंत्र से भिन्न हो। अमरीका आदि कुछ देशों में प्रेज़िडेंशियल फ़ार्म आफ़ गवर्न-मेंट है, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो न तो अप्पर हाउस का मੈम्बर होता है और न लोअर हाउस का और उसके द्वारा जनतंत्र का समुचित रूप से संचालन होता है। यदि हम निष्पक्ष होकर, बिना पक्षपात के, और हम बिल्कुल दूध के धोये हुए हैं, यह धारणा न रख कर विचार करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे जनतंत्र की तुलना में उस सिस्टम में कोई खामी या कमी नहीं है।

हैरल्ड लास्की, और उनसे भी पहले ऐलेक्स डी टोकवाबील, जिन्होंने "डेमोक्रेसी इन अमरीका" पुस्तक लिखी है, इन दोनों का मत है कि प्रेज़िडेंशियल फ़ार्म आफ़ गवर्नमेंट और कैबिनेट फ़ार्म आफ़ गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक ढांचा एकसा ही है और जनतंत्र की दृष्टि से उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।

सवाल यह है कि जब अमरीका आदि देशों में कोई व्यक्ति अप्पर या लोअर चेम्बर

[श्री शिवचन्द्र भा.]

का सदस्य न होने के बावजूद मिनिस्टर बन सकता है और उसके मातहत भी उसी तरह का जनतंत्र चल सकता है, जिस तरह का हमारे यहां है, तो फिर जबतक राज्य सभा या विधान परिषदों को खत्म नहीं कर दिया जाता है, तब तक अगर कोई टेक्निकली क्वालिफ़ाइड आदमी हमारे यहां मंत्रिमंडल में रख लिया जाता है, तो इसमें कौन सी बुराई है, इससे जनतंत्र का क्या बिगड़ता है? असल में राज्य सभा और विधान परिषदों को खत्म कर देने से हमारे जनतंत्र की खामी को दूर किया जाता है, लेकिन जब तक वह नहीं होता है, तब तक उन संस्थाओं के किसी सदस्य का मंत्रिमंडल में आना हमारे जनतंत्र में कोई खराबी नहीं ला सकता है, जिस तरह कि अमरीका आदि देशों में किसी भी चेम्बर का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति का सेक्रेटरी, अथवा मिनिस्टर, बनाया जाना वहां के जनतंत्र में कोई खराबी नहीं ला सकता है।

जिन लोगों ने आजादी के संघर्ष में बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी थीं, उनमें से बहुत से लोग 1952 के चुनाव में हार गये थे। बड़े-बड़े नेता उस चुनाव में हार गये थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां इलेक्शन का जो तरीका है, उसके अन्तर्गत वे चुनाव में हार गये, तो क्या इससे उनकी अहमियत खत्म हो गई। माननीय सदस्य चुनाव-क्षेत्र में जो लोग चुनाव में नहीं जीते हैं, क्या चुनाव में हारने मात्र से ही देश-सेवा और पब्लिक लाइफ़ में उनका कान्ट्रीव्यूशन कम हो गया है? मैं समझता हूं कि यह बहुत नैरो दृष्टिकोण है। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं, जो विधान मंडलों के माध्यम से नहीं, बल्कि उनसे बाहर रह कर जन-कार्य कर रहे हैं। क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि उनका कान्ट्रीव्यूशन कुछ कम है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए

कि उनको अप्पर चेम्बर में, राज्य सभा में या किसी विधान परिषद में, लाया जाता है, तो क्या उससे हमारे जनतंत्र में कोई खराबी आ जायेगी? यह एक डागमेटिक एप्रोच है और यह उन लोगों का दृष्टिकोण है, जिनका बुनियादी और पर जनतंत्र में विश्वास नहीं है। जनसंघ और डेमोक्रेसी, ये दोनों पोल्ट्र एपाट हैं; ये दोनों एक दूसरे के साथ रीकान्साइल नहीं हो सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री रणधीर सिंह।

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, क्या इस डिस्कशन में केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जायेगा, जो कांस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट हैं?

सभापति महोदय : नहीं, सब प्रकार के सदस्यों को बुलाया जा रहा है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : (मंदसौर) : इसके बाद श्री शिव नारायण को बुलाया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : वह तो सम अप करेंगे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, हमारे यहां जम्हूरियत है, रिपब्लिक है। हमारे कांस्टीट्यूशन के प्रीएम्बल में भी "बी, दि पीपल आफ़ इंडिया" का जिक्र किया गया है। जैसा कि मेरे फ़ाज़िल दोस्त ने कहा है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट है, जिसका काम पीपल, लोगों, के नुमायंदे चलाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस शक्स का सारी उम्र पीपल से, इस देश के आम लोगों से, कोई ताल्लुक नहीं रहा है, जिसने गरीब हरिजनों की झोपड़ियां नहीं देखी हैं, जिसे यह पता नहीं है कि गेहूं का पौधा होता है या दरख्त होता है, जिसे मालूम नहीं है कि गांवों में किस किस्म के आदमी रहते हैं, जिसे शहरों के गरीब मजदूरों की झुग्गी-झोंपड़ियों का पता नहीं है, जो किसी बड़े लीडर का लड़का होने की बदौलत लीडर बन जाता है, जैसे कि किसी

राजा-महाराजा का लड़का राजा-महाराजा होता है, या जो किसी वजीर या दूसरे बड़े लोगों के साथ ताल्लुक होने की वजह से केबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, क्या उसको पीपल का, लोगों का, नुमायंदा कहा जा सकता है और क्या उस को मिनिस्टर बना देने से हमारे कांस्टीट्यूशनल प्राविजन्ज या डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्ज पूरे होते हैं।

आज हालत यह है कि डेमोक्रेसी का मजाक सा बनाया जा रहा है, जनता का नाम लेकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो आदमी एक क्लर्क से तरक्की करते-करते आगे बढ़ता है, जिसने डिफेंस सर्विसिज या किसी दूसरी सर्विस में काम किया है, जिसने मजदूरों, किसानों, हरिजनों और बैंकवर्ड क्लासिज में काम किया है, जो एक दफ्ता नहीं, दस दफ्ता जेल गया है, जो यहां के लोगों की रग-रग से वाकिफ़ है, जो देश के आम लोगों, किसानों और देहात की जनता की मुश्किलात और प्राबल्मज को जानता है, वह कहीं पच्चीस, चालीस, पचास साल के बाद जाकर लीडर बनता है। गेहूं से किसी ने पूछा कि तुम्हारा रंग लाल कैसे है, तो उसने कहा कि मैं किसान का खून पिये हुए हूं, इसलिए मेरा लाल रंग है। उसी तरह कोई पब्लिक वर्कर या लीडर ऐसे ही नहीं बन जाता है, बल्कि उसको लम्बे अरसे तक लोगों का काम करना पड़ता है, कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जनता उस को अपना लीडर चुनती है। जिसको लोग बनायें, वही लीडर है, न कि किसी लीडर का लड़का। डेमोक्रेसी का उमूल तो यह है कि जिस शख्स को लोग चुन कर भेजें, वही लीडर है और उसी को मिनिस्टर वर्गैरह बनाया जा सकता है। लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए यह जो दूसरा दरवाजा खोल दिया गया है, वह अनडेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के खिलाफ़ है। तो मैं जो चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है, डिफेंक्शंस कमेटी की रिपोर्ट भी है लेकिन उससे मैं इत्तफाक

नहीं करता हूं, इतनी बात मैं जरूर मानता हूं कि डिफेंक्शंस वर्गैरह को रोकने के लिए जो आदमी ऊपर ही इस किस्म की मेकेनिज्म करते हैं उनको रोका जाय लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि उस हाउस का कोई रेप्रेजेन्टेशन इसमें हो। एक दफ्ता पहले बिल आया था उसमें अपर हाउसेज को खत्म करने की राय मेजारिटी में लोगों की थी और अच्छा है यह हवा चल रही है, पंजाब में यह अपर हाउस गए, बंगाल में गए, दूसरी जगह भी जा रहे हैं, सिफारिशें हो रही हैं। अगर बीमारी भाग जायगी तो डाक्टर की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप के इस बिल की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हो सकता है कि कुछ देर उसमें लगे। तो उस वक्त तक क्या होगा? उसके लिए मैं समझता हूं कि जो मेरे फाजिल दोस्त ने यह बिल पेश किया है, उनकी भावना का मैं आदर करता हूं। यह मैं नहीं समझता कि यह कोई जाती बात है या जाती गरज से वह लाए हैं। यह मोस्ट डेमोक्रेटिक बात है और इसको मानना चाहिए। डिफिकल्टी तो जरूर है दो तिहाई मेजारिटी करने के लिए क्या पोजीशन होगी, अलग अलग ख्यालात के लोग हैं, आपने सुना अभी 50 एम० पी० के नुमाइन्दा बोल गए, उनके क्या ख्यालात हैं, दूसरों के क्या ख्यालात हैं, दो तिहाई मेजारिटी बने तब काम चले और उसके बाद मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं, वह इसको रेकटीफ़ाई करें या नहीं करें, लेकिन फिर भी मैं यह कहे बर्गैर नहीं रह सकता कि एक फिजा पैदा हुई, जैसे अपर हाउसेज को खत्म करने की तजवीज है इसी तरह से एक यह भी चीज आई है जो होनी चाहिए। आज कुछ लोगों की एक आदत पड़ गई है, राज्य सभा में आ गए, बस साहब बन गए। अखबार वालों को बुला कर चार कप चाय उनके साथ पी लिया, एक बयान दे दिया, अखबार में छप गया, चार पांच लीडरों के खिलाफ़ कोई ऊटपटांग बयान निकाल दिया और बस पक्के लीडर बन गए। जहां देखिए, हाथ में हाथ मिलाए धूम रहे हैं, फोटो

[श्री रणधीर सिंह]

खिच रही है और फिर एक ग्रूप बनाया और कहा कि हम भी लीडर हैं, पांच अरबी घोड़ों के साथ हमारा गधा भी चलेगा। बयान निकाल दिया कि सीनियर लीडर ने यह कहा। चार पांच बड़े लीडरों के साथ मैं अपना नाम भी ठोक दिया। वह तो बड़े हैं ही, उनके साथ अपना भी ठोक दिया। बहुतेरे भाई तो ऐसे हैं जिनका मास कांटेक्ट नहीं, जिनका कोई हल्का नहीं, जिनका लोगों से ताल्लुक नहीं, जिनका कोई काम नहीं, जिनके बाप ने कोई काम नहीं किया, न कभी कोई जेल में गए और वह चौधरी बन गए यहां आ कर। जिनकी कोई स्टेट नहीं और एक बावली सी स्टेट मिल गई हमारे हरयाने की, यहां जाकर एम० एल० सी० बन गए और चौधरी बन कर चिपक गए। फिर कहते हैं बकिंग कमेटी में हम को क्यों नहीं लिया, हमें मिनिस्ट्री में क्यों नहीं लेते? मिनिस्टर बनने पर शायद कहें कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? यह कोई एक की बात नहीं है, एक रूझान सा बन गया है। लोगों ने एक ब्लैक-मेलिंग शुरू कर दिया है। तो मैं कहता हूँ कुछ अरसे के लिए हो सकता है 6 महीने के लिए वजीर बनाओ लेकिन उसको कहो कि जाओ जनता से रेक्टिफाई कराओ। तुम एम० एल० सी० हो या तुम राज्य सभा के मेम्बर हो, मिनिस्टर हो, जाओ लोगों से रेक्टिफाई कराओ। और फिर लोग उसका कचूमर निकालेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों ने एक पेशा बना लिया है लीडर बनने का और एक यह रास्ता अख्यार कर लिया है। इस किस्म के जो आदमी हैं वह लोगों के नुमाइन्दे नहीं हैं। नुमाइन्दे वह हैं जो मर-मर कर के काम करते हैं, जो पचास-पचास साल की सेवा करके आते हैं—इधर हों या उधर हों, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या नान-कांग्रेस गवर्नमेंट हो लेकिन यह ऊपर से आकर के चौधरी बन बैठते हैं। हमारी तरफ एक मिसाल है कि शादियों में टके बरते हैं तो लम्बे-लम्बे हाथ वाले

ऊपर ही ऊपर ले लेते हैं बेचारे गरीब के पल्ले वह टके नहीं पड़ते। तो यह जो ऊपर ही ऊपर टके उठाने वाले बन जाते हैं—कागजी पहलवान जिनको मैं बोलता हूँ, आगे पीछे कोई है नहीं और यह कागजी पहलवान बन कर आ जाते हैं। कोई लीडरशिप नहीं, कोई जनता से ताल्लुक नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, केवल बातें बनाना जानते हैं, चाय पिलानी आती है, अंग्रेजी में बोल दिया, बयान निकल गया और बस पक्के लीडर बन गए। धमकी दे दी प्राइम मिनिस्टर को कि हमें नहीं पूछोगे तो हम यह कर देंगे। अगर हमको नहीं लेंगे तो हम भी बता देंगे हम कैसे लीडर हैं। तो ऐसे आदमी से पार्टी को नुकसान पहुंचता है चाहे वह पार्टी इधर हो या उधर हो। मैं एक मिसाल देकर खत्म करता हूँ। हमारे यहां एक छोटी सी स्टेट थी स्टेट कोयलसी। वहां के साहब ने अपना नाम म्युनिसिपल रजिस्टर में लिखा दिया अपनी राय लिखा ली सोनीपत शहर में। मैं जानता हूँ इस बात को। कभी वहां गए नहीं, नाम रजिस्टर में वहां है, काम यहां करते हैं। कभी कांस्टीट्यूएन्सी में जाना नहीं, बहुत दिन बाद कभी पहुंचे और कार का दरवाजा खोल दिया—बस और राय वहां लिखवा ली। उसके बाद बढ़िया कमीज़ और बढ़िया खादी भवन से खादी की पोशाक लेकर पहन ली, आए और सीधे एम० एल० सी० बन गए। पूछा कि आप कहां के रहने वाले हो? कहा हरयाने के। कोई पूछे कि हरयाने के रहने वाले कैसे हुए तो कह दिया मेरा नाम सोनीपत के रजिस्टर में है। जाकर देख लो। एक नहीं दो नाम हैं। फिर यहां आकर चौधरी बन गए और हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बना दिया। इस वास्ते बना दिया कि हाई कमांड के बड़े से बड़े नेता के चारों तरफ चक्कर काटने वाले हैं, उनके पीछे चक्कर काटते हैं और रिपोर्ट पहुंचाते हैं। चीफ मिनिस्टर भी क्या करे? जो हाई कमांड को राजी कर ले उसको वह भी बना लेते हैं। मेरी नीयत कोई

किसी के ऊपर आक्षेप करने की नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह जो एक तबका पैदा हो गया है और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है उसके ऊपर कोई ऐसी चेक होनी चाहिए। जो बेचारे काम करने वाले हैं वह ऐसे ही रह जाते हैं और यह ऊपर से आकर उनके ऊपर जम जाते हैं। पचास साल हो गए सेवा करते-करते, चेयरमैन साहब, आप जैसे आदमी को भगत सिंह के साथ मिल कर काम किए, जीते जागते शहीद वह तो पीछे रह गए और वह झूठी राय लिखाने वाले आसमान पर पहुँच गए। जो यह जम्हूरियत की बात नहीं है। यह जम्हूरियत के खिलाफ बात है। मेरे एक फाजिल दोस्त ने उधर से एक बात कही, उस पर इधर से मेरे दोस्त श्री प्रेम चन्द वर्मा ने उनको टोक दिया, यह सही बात है, मेरे दोस्त नाराज न हों, सत्तर-सत्तर हजार रुपये में मेम्बरी बिकी है। वह मेम्बर बने, फिर मिनिस्टर हो गए और फिर मेरे जैसे कितने ही आदमी उनके पीछे जूतियाँ चटखाते फिरते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों ने पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस दफा जेल जाने वालों को और किसानों में काम करने वालों को सबको पीछे डाल दिया और खुद आगे आ गए। वह फर्श दरी पर चले गए और हम जहाँ के तहाँ जमीन पर पड़े हैं।

तो मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो स्पिरिट है इनके बिल की इसकी मैं तारीफ करता हूँ। मैं यह विश्वास नहीं करता कि किसी जाती गरज से वह यह बिल लाए हैं। आज यह एक प्रोफेशन बन गया है लोगों का, गलत प्रोफेशन है और इसको वीड आउट करना है। हो सकता है इसके रास्ते में कोई कानूनी पेचीदगियाँ हों लेकिन इसकी स्पिरिट मैं जरूर मानता हूँ; कोई भी लीडर बने, मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वह जनता के सही नुमाइन्दों में से बने। यह लोग जो बीच में अपना हलुवा मांड़ा चलाने वाले आ जाते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, यह लोगों के नुमाइन्दे

नहीं हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि यह जो बिल पेश किया गया है, कोई वाया मीडिया इसके लिए सोचा जाय। जिस वक्त यह कौंसिलें खत्म हो जाएंगी, उस वक्त तो इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो डिफेक्शंस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसी काण्टे-क्स्ट में इसको सोचा जाय। कम से कम कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता तो एक कन्वेंशन बनाई जाय कि मिनिस्टर बनाना है या प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो इसी हाउस से बनाना है और जिसको पेंशन देनी है उसको राज्य सभा में भेज दीजिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि वह आकर हमारे ऊपरी लीडरी करे। जनता के नुमाइन्दे मरें, कुर्बानी करें और उनके ऊपर यह बेकार के आदमी आकर लीडरी करें, यह मुनासिब नहीं है। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : Mr. Chairman, the Constitution (Amendment) Bill, moved by my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, provides an occasion to review the political situation and the working of democracy in this country. I fully agree with the members that backdoor entry to the Ministry should be banned. Shri Gupta cited many examples of how people enter the Ministry without facing the people. It is a commendable principle that to become the Chief Minister or a Minister in a Cabinet, whether in the States or in the Centre, he should face the electorate and get himself elected.

The present politicians of this country will go down in the country as a laughing stock if we continue this sort of mockery of democracy.

The shining example may be cited of Bihar where a MLA remained Chief Minister for two days, reminding one of *Ek din ka Sultan*, then nominated some other person and two days later the nominated man became the Chief Minister and continued for five months. Is this democracy as defined by Abraham Lincoln? This

[Shri G. Viswanathan]
can be only democracy which can be purchased by an individual.

Again, we hear the news—it is a fact; we cannot deny it—where nine ministers go out of a ministry and 29 people are pushed or injected into the ministry. Is it not a mockery of democracy? I am not concerned with any particular person, whether it is C. B. Gupta or Tripathi or anybody else. This must be condemned by this House because this will set a bad precedent in this country.

I would also like to remind this House that at one time in the State of Haryana, from where Shri Randhir Singh comes to this House, there were ministers, I think, five for each district.

SHRI RANDHIR SINGH : Not now.

SHRI G. VISWANATHAN : Not now; at one time, I say. This should not and cannot happen in this history where the national income may be one of the lowest in the world.

Though the principle behind this Bill is commendable, constitutionally I am not in agreement with this Bill. My reasons are these. This Bill discriminates between a Member of Lok Sabha and that of Rajya Sabha. Shri Kanwar Lal Gupta said that this was the first step. It may be a first step towards the abolition of Rajya Sabha. There I disagree with him because Rajya Sabha is a symbol of the federal structure in this country. We stand for federation and if there are suggestions for improving the working of Rajya Sabha or the mode of representation, I will agree with them. Even if the Bill goes to say that no minister can be appointed if he is not a Member of either House, I can agree with the Bill but not to a Member of Lok Sabha becoming a minister and a Member of Rajya Sabha being prohibited from becoming a minister.

Not only that, even between Members of Rajya Sabha there is discrimination. For example, in February 1967 a Member of Rajya Sabha can become a minister in the Union Cabinet but a Member who comes in March or April is prohibited,

according to this Bill. How can it happen?

Again, this Bill is against indirect election. I would like to remind this House that indirect election is an accepted principle in this country under our Constitution as well as in other countries. The President of India is elected through an indirect election. The Vice-President is elected indirectly and even the Prime Minister is elected indirectly. I would like to cite a shining example. An elder statesman, Shri C. Rajagopalachari in his lengthy political career of 50 to 60 years never contested any election to the Assembly or to the Lok Sabha. He occupied important posts in this country—Governor General of India, Home Minister India, Governor, Chief Minister and so on and so forth and what not—but never contested any election. So, we cannot insist on direct election when we have accepted indirect election.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Is it a matter of pride?

SHRI G. VISWANATHAN : Again, I would like to remind this House that the argument that the Rajya Sabha should be abolished is against the federal structure of this country. When the fathers of the Constitution moved for the formation of Rajya Sabha, they had in mind that the various States of the Indian Union should have their representatives and they should feel that they are also participating in the Government by having their own representatives elected from the Assembly. It can be improved; the mode of representation can be improved and the working of Rajya Sabha can be improved, but it should not be abolished to keep the federal structure in the country.

So, though in principle I agree with my hon. friend that the backdoor entry should be prohibited, I am not agreeable to the abolition of Rajya Sabha even though it may be the first step. So, I oppose this Bill.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, हमारे बुजुर्गों ने इस संविधान को बनाया, लेकिन समय समय पर हमने इसमें

परिवर्तन किया, इसलिये इसमें अब भी परिवर्तन हो सकता है। मैं, सभापति महोदय, बंगाल की प्रेजेन्ट गवर्नमेन्ट को मुबारकबाद देता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ कि उसने अपने अपर हाउस को एबालिश किया। कंवर लाल जी गुप्ता का यह विधेयक तो एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन मैं मांग करता हूँ राज्य सभा को एबालिश करो, तमाम राज्यों की काउन्सिलों को एबालिश करो। जो लोग बैंक-डोर से आते हैं, चोर दरवाजे से आते हैं, उस दरवाजे को खत्म करो। हम डेमोक्रेटिक सेट-अप में विश्वास करते हैं, किस डेमोक्रेटिक सेट-अप में, जिसके बारे में कहा गया है—गवर्नमेन्ट आफ़ दी पियुपिल, बाइ दी पियुपिल, फ़ौर दी पियुपिल और श्री कंवर लाल गुप्ता का यह विधेयक उसी भावना की पूर्ति करता है।
 (व्यवधान)

इन कम्युनिस्टों को हमारे संविधान में विश्वास नहीं है, इसी लिये हो-हल्ला करते हैं, बकवास करते हैं। इनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। मैं रणधीर सिंह का स्वागत करता हूँ, वह हमारे—साथी हैं—उनकी यह बात बिलकुल सही है कि जो चुन कर आया है, जो डोर-टु-डोर गया है, जनता के द्वारा चुन कर आया है, उसी को मिनिस्टर बनने का अधिकार है। जो लोग काउन्सिलों में भरे हुए हैं मैं उनके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ
 (व्यवधान) मुझे उस इतिहास में मत ले जाइये, नहीं तो मेरे दोस्तों का कन्डेमनेशन हो जायगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री कंवर लाल गुप्ता ने जो अमेण्डमेन्ट पेश किया है, वह बिलकुल ठीक है और इससे सही नुमाइन्दगी होगी। ये जो गेटापार्च के बबुए लोग हैं, रहेंगे दिल्ली में, नौमिनेशन होगा चण्डीगढ़ में, यह चीज नहीं चल सकेगी। तीन-तीन जगहों पर इलैक्टोरल रोल में नाम दर्ज है, यह जो माइनोरिटी गवर्नमेन्ट है जो मिनिस्ट्रों को नामिनेट करा कर ले आती है—

मुझे माफ़ कीजिए, मेरे दोस्त बड़ा ढोल पीट रहे हैं इस माइनोरिटी गवर्नमेन्ट का, लेकिन यह भी पहली मिसाल है कि जो प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वह भी सबसे पहले बैंक-डोर से ही प्राइम मिनिस्टर बनी थीं, राज्य सभा में आई थीं। (व्यवधान)

इस बिल के लाने के कारण जनसंघ पर बड़ा एटेक किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस से बड़ी आनैस्टी जनसंघ की और क्या होगी कि जनसंघ के मेम्बर ने इस को यहां पुट किया है। ये लोग ढोल पीट रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो मैदान में प्रैक्टिकली उतर कर दिखलाया है ये प्रोसीडिंग्स इस बात की सुबूत हैं। कंवर लाल गुप्ता कहां का रिप्रेजेन्टेटिव है—दिल्ली का रिप्रेजेन्टेटिव है, लेकिन उस ने इस बिल को यहां पर पेश कर के दिखाया है—आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन इन कम्युनिस्टों को इस में कोई फ़ाय नहीं है

SHRI S. M. BANERJEE : Those Syndicate-walas are horrible people.

श्री शिव नारायण : सिण्डीकेट वाला ही प्राइम मिनिस्टर है, कामराज ने ही उन को बनाया था,—असली सिण्डीकेट को सिण्डीकेट नहीं कहते हो, उसी का ढोल बजाते हो।

सभापति महोदय, इस संविधान के आर्टिकल 75 (5) में लिखा है—

“A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister.”

६ महीने तक फ़्री है, मिनिस्टर बने रहते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद हिम्मत नहीं पड़ती कि जनता के सामने जायं, चुन कर आयें, राज्य सभा में जाते हैं। कंवरलाल गुप्ता जी ने जो अमेण्डमेन्ट दिया है, मैं उस का स्वागत करता हूँ और समझता हूँ कि यह

[श्री शिव नारायण]

मुनासिब स्टेप है। यह सरकार माइनोरिटी सरकार है, माइनोरिटी सरकार को बने रहने का हक नहीं है। अगर आप सही मायनों में डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं तो अपर-हाउस को एबोलिश कर दो, तमाम कान्सिलों को एबोलिश कर दो, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जायगा। अगर नहीं करोगे तो फिर हम देखेंगे। मैं आज लाल बहादुर शास्त्री को घन्यवाद देना चाहता हूँ, उन की आत्मा को शान्ति मिले। उन्होंने कहा था— उस दिन हम को बड़ी खुशी होगी, जब कांग्रेस वाले अपोजीशन में बैठेंगे, आज उनके शागिर्द साथी यहां बैठे हैं। Cream of the Congress is here. उधर कौन हैं ? चमचेबाज लोग हैं। इन्हीं के दम पर ये जिन्दा रहना चाहते हैं। ... (व्यवधान) ... अभी मेरे मित्र श्री डी० एन० तिवारी बोल गए हैं। शुरू शुरू में उन्होंने कहा था कि संविधान को फेंक दो ... (व्यवधान) ... हम भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, इस देश के डिमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास करते हैं। आज से नहीं, बल्कि गुप्तकालीन भारत के समय से। और आज गुप्त जी ने ही यहां पर यह बिल पेश किया है। मैं लेनिन का कोटेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत का ही कोटेशन दे रहा हूँ। हम इस देश की गीता और रामायण में विश्वास करते हैं, हम कुरान में भी विश्वास करते हैं। हिन्दु मुस्लिम भाई भाई में भी हम पूरा विश्वास करते हैं। इस देश की यूनिटी में विश्वास करते हैं। हमारे मुसलमान भाई एक रोटी भी बांट कर खाते हैं—यही असली डिमोक्रेसी है। हम किसी दूसरे देश की नकल नहीं करते। मैं समझता हूँ कि गुप्त जी ने जो बिल पेश किया है वह ठीक है। संविधान कोई गीता या रामायण नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें परिवर्तन हो सकता है। मैं समझता हूँ सरकार को इसे मान लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं गुप्तजी का

समर्थन करता हूँ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इनकी शैडो कैबिनेट में, मैंने सुना है श्री एस० एन० मिश्र डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं—यह कैसे हो सकता है जबकि राज्य सभा वाले कैबिनेट में न रहें।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सरजू पाण्डे : (गाजीपुर) : सभापति जी, यह जो संशोधन जनसंघ की ओर से आया है, जनसंघ भी अजीब किस्म का जीव है। मैं बड़े गौर से इनका भाषण सुन रहा था। बजाय इसके कि अपने संशोधन पर भाषण करते, ये कम्युनिस्ट पार्टी को ही गाली देने में लगे रहे ... (व्यवधान) ...

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को इस वक्त गाली नहीं दी, वैसे देता जरूर हूँ।

श्री सरजू पाण्डेय : इनका विश्वास न तो डिमोक्रेसी में है, न प्रजातन्त्र में है और न बोट में है। हिन्दुस्तान में सारे सड़े हुए विचारों के ये प्रतीक हैं। उन विचारों को लेकर यह सदन में संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसमें उनको विश्वास नहीं है। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था जोकि दूसरे जनसंघी पैदा हो गए हैं ... (व्यवधान) ...

श्री शिव नारायण : जनसंघी होना कबूल है लेकिन हम रूसी दलाल तो नहीं हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : सभापति जी, नया मुसलामान प्याज ज्यादा खाता है। ये नये जनसंघी समझते हैं कि ये देशभक्त हो जायेंगे। ... (व्यवधान) ...

हमने जेलखानों में रेमिशन पाया है
 ... (व्यवधान) ...

श्री कंबरलाल गुप्त : रूस की जासूसी
 करके जेल में गए होंगे । ... (व्यवधान) ...

श्री सरजू पाण्डेय : ये जनसंघी कांस्टी-
 ट्यूशन का नाम लेते हैं लेकिन इनके कांस्टी-
 ट्यूशन में विश्वास नहीं है । यह जो नया
 सिन्डीकेट पैदा हुआ है, यह सही है कि एलेक्शन
 में ... (व्यवधान) ...

सभापति महोदय : आप विषय पर
 बोलिए ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं विषय पर आ रहा
 हूँ । ये कह रहे हैं कि चुनाव में वोट खरीदे
 जाते हैं । लेकिन ये भी रुपया खर्च करके वोट
 खरीदते हैं और फाल्स वोटिंग करवाते हैं ।
 इन की पार्टियों के लोगों ने यू० पी० असेम्बली
 में पांच पांच हजार लेकर जयपुरिया को वोट
 दिया । ... (व्यवधान) ...

श्री कंबरलाल गुप्त : प्वाइंट आफ
 आर्डर । सरजू पाण्डेय जी ने जो आरोप
 लगाये हैं वह मिथ्या हैं, गलत हैं । हमारे पास
 रूस से पैसा नहीं आता है, अपने पास से पैसा
 खर्च करते हैं । रूस से पैसा लेकर हम नहीं
 बनते हैं ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आपका कोई प्वाइंट
 आप आर्डर नहीं है । लेकिन हम आपसे
 निवेदन करेंगे कि अच्छा हो, दूसरों पर कीचड़
 उछालने के बजाये विषय पर आ जायें ।
 ... (व्यवधान) ...

श्री सरजू पाण्डेय : इन्होंने पहले शुरू
 किया । ... (व्यवधान) ...

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : आपको
 चाहिए कि श्री गुप्त जी को रोकें । अगर
 नहीं रोकते हैं तो इंट का जवाब पत्थर से
 दिया जायेगा । ... (व्यवधान) ...

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : विषय क्या
 है और झगड़ा क्या है ? हमको भी बोलकर
 जल्दी जाना है । ... (व्यवधान) ...

श्री सरजू पाण्डेय : सभापति जी, यू०
 पी० में अभी अभी मेरठ वाले श्री कैलाश
 प्रकाश जो मिनिस्टर बनाये गए हैं वह चोर
 दरवाजे से ही आये हैं । ऐसे बहुत सारे विद्वान
 लोग हैं जो चुनाव में नहीं जीत सकते इसीलिए
 इस तरह का प्राविजन रखा गया था । वैसे
 इनकी अगर इमानदारी होती तो कम से कम
 इस सदन में इमानदारी की बात कहनी चाहिए ।
 जो संविधान में विश्वास न करे और गलत
 बात कहे उस पर कोई विश्वास नहीं होना
 चाहिए । इसलिए जो बिल जनसंघ की ओर
 से आया है उसका कोई महत्व नहीं है और
 मैं उसका विरोध करता हूँ ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह
 जो इनका मुझाव है उसकी मैं ताईद करता
 हूँ और वह इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि
 जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल हो या राज्य मंत्रि-
 मंडल हों उनमें कोई ऐसा आदमी बैठे जो जनता
 के द्वारा चुना न गया हो । इस तरह बातें
 होती हैं और आप जिस पार्टी के सदस्य हैं
 वह तो इस में सबसे बड़ी अपराधी है ही लेकिन
 हमारी तरफ से भी कुछ लोग आप ही का
 अनुकरण कर रहे हैं । मैं तो यहां तक जाऊंगा
 कि डिफेक्शंस कमेटी में बात आई थी कि
 जो मुख्य मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो वह न
 केवल सदन का सदस्य हो बल्कि जनता के
 द्वारा सीधे चुना गया हो यानी राज्य
 सभा या विधान परिषद का कोई भी सदस्य
 प्रधान मन्त्री या मुख्य मन्त्री न बने । लेकिन
 आपकी पार्टी ने सन् 66 में राज्य सभा के
 एक मेम्बर को प्रधान मन्त्री बनाकर लोकतन्त्र
 का अपमान किया और इधर हमारी तरह से,
 मैं डी० एम० के० के लोगों का बहुत आदर
 करता हूँ, श्री अन्नादुरे का भी बहुत आदर
 करता हूँ लेकिन श्री अन्नादुरे को, मद्रास

[श्री मधु लिमये]

विधान सभा का सदस्य न होते हुए भी इन लोगों ने मुख्य मंत्री चुना ।

अब हमारे दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट उन्हीं की नकल कर रहे हैं । . . . (व्यवधान) . . . मैं मुद्दे पर बोल रहा हूँ ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : दक्षिण-पन्थी कम्युनिस्ट पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है ।

श्री मधु लिमये : अच्छा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अधिकृत ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इस नाम की भी कोई पार्टी नहीं है । आप किस पार्टी के नाम को बतलाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : चलो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिस के श्री योगेन्द्र शर्मा यहां प्रतिनिधि सदस्य हैं । यह पार्टी भी इसी बात की नकल कर रही है । बंगाल में जब संयुक्त मोर्चे का मंत्रिमंडल बना तो उन की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो व्यक्तिगत दृष्टि से मेरी बहुत मित्र हैं । मैंने उन से भी कहा कि यह अच्छा नहीं कर रही हो । रेणु चक्रवर्ती को मंत्री बनाया गया जो विधान सभा की सदस्य नहीं थी ।

एक माननीय सदस्य : रेणु में क्या बुराई है ?

श्री मधु लिमये : रेणु मेरी दोस्त हैं, इसी लिये यह नेक सलाह उन को दी थी । सोलह महीनों बाद उन को हटना पड़ा ।

एक माननीय सदस्य : वह बीमार पड़ी है ।

श्री मधु लिमये : उन को हटना पड़ा । इसलिये ऐसी स्थिति में उन को नहीं डाला जाना चाहिये ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या आप ने बी० पी० मंडल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जो विधान सभा के सदस्य नहीं थे ?

श्री मधु लिमये : निकाल दिया । उन को मंत्रिमंडल से निकाल दिया ।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि उन का मंत्रिमंडल रहा नहीं ।

श्री मधु लिमये : निकाल दिया । उस समय डा० राम मनोहर लोहिया जिन्दा थे और इस का तत्काल विरोध किया गया था । उसी को लेकर उन को निकाल दिया गया था । गलती हो सकती है, लेकिन दुस्त की गई और इस की जो सजा है वह हमें भुगतनी पड़ी ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या भोला प्रसाद सिंह को आप ने मंत्री नहीं बनाया ? (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : मैं समर्थन कर रहा हूँ ।

सभापति महोदय : 6 बजे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है । उस के पहले इस को खत्म करना है । (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : अभी केरल में क्या हुआ ? केरल में श्रीमती इन्दिरा गांधी के आर्शावाद से और केन्द्रीय सरकार के समर्थन से एक मिनि-फ्रंट की हुकूमत बनाई गई । उस के लिये मुख्य मंत्री पद के लिये कोई आदमी नहीं मिल रहा था तो राज्य सभा से आयात किया गया श्री अच्युत मेनन को । चाहे जो भी पार्टी इस तरह का काम करे, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे विरोधी कांग्रेस हो, डी० एम० के० हो, कम्युनिस्ट हों, जनसंघ हो, संसोपा हो—अब तो आप को सन्तोष है ?—कोई भी पार्टी हो, जो इस तरह का काम करेगी और गैर-सदस्यों को मंत्री बनायेगी, मुख्य मंत्री बनायेगी या राज्य सभा अथवा विधान परिषद् से मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री का चुनाव करेगी, वह बहुत गलत काम करेगी ।

इस लिये इन के बिल को पारित करना चाहिये या फिर कोई नया बिल आये । हम

ने तो नोटिस दिया है कि मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री विधान परिषद् से या राज्य सभा से न हो, विधान सभा से या लोक सभा से हो।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सभापति महोदय, जो विधेयक माननीय सदस्य ने रक्खा है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यह प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। हम ने किसी पार्टी में ऐसा काम नहीं किया है। इन्हीं लोगों ने किया है। श्री गुप्त तवारीख नहीं जानते हैं। यह कांग्रेस वालों ने शुरू किया था। जब पहले पहले एलेक्शन हुआ 1952 में तब कांग्रेस की मैजोरिटी नहीं थी। कांग्रेस माइनोरिटी में थी। वह राजगोपालाचारी को लाये। उन को विधान परिषद् का सदस्य बना कर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम को मैजोरिटी नहीं मिलती है तो मैं हाउस को डिजाल्व कराऊंगा। एकदम उन को मैजोरिटी मिल गई। यह आज का मर्ज नहीं है। आप तवारीख जानते नहीं हैं। यह पहले एलेक्शन की बात है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि यह बड़ी अच्छी बात है। आज तो कांग्रेसवालों को मानना ही चाहिये क्योंकि कल खबर नहीं क्या होता है। यह लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे इस में भी बढ़ा शक है। अगर रहें भी तो यह कन्वेंशन बना देने से उन की अच्छाई ही रह जायेगी। मुझे इतना ही कहना है कि इस में किसी को आपत्ति नहीं है।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : This Bill tries to remedy certain evils which are very rampant in the country now. But I think the medicine will not cure all the symptoms.

Our Constitution was based on the English Model where the members from the House of Lords can join the British Cabinet and the same principle was adopted here(Interruptions). The Constitution makers had perhaps some inkling that the people of this country may not elect the

right persons to man the Government. Therefore a storehouse was sought to be prepared in the Rajya Sabha from where talents could be drawn. But we have seen in practice that this principle had been more misused than used properly; it has been misused for private party ends, to show personal favours to disgruntled politicians and at times unwanted politicians also, or for getting politicians into the Cabinet through the backdoor. We have seen how politicians have crossed floors. Mr. Gupta's point that only election ensures that members stick to their principle or party has proved incorrect. Indirect election is bound to be prevalent in a country as vast as ours; we cannot have direct elections for all things. Take for instance the presidential elections. But we cannot find fault with the process itself. The manner of using it is faulty. We have seen what is happening here; this House was free from those things which were happening in many State legislatures. There people who were elected directly by the electorate betrayed them and crossed floors. How can we then say that direct elections will deliver the goods in this country? The root cause lies elsewhere. This is a timely measure which may solve some problems if not all. All the same, the desire of Mr. Gupta that the situation should be remedied is welcome. I, therefore, support the Bill with the proviso that some more measures should be adopted to check floor-crossing by elected Members.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, इनको कम से कम एक मिनट मिलना चाहिये अपना बिल मूव करने के लिए।

सभापति महोदय : इनका बिल कैसे आएगा ?

श्री मधु लिमये : हमेशा यह होता है कि अगर दो चार मिनट आगे भी मामला जाता है तो उसके बाद वाला आइटम हमेशा इंट्रोड्यूस हो जाता है।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार अभी मिनिस्टर को जवाब देना है और उसके बाद जिस मੈम्बर का बिल है, उसको जवाब

[सभापति महोदय]

देना है। तब जाकर इनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल सकता है।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : I will not take more than five minutes. Mr. Chairman, Sir, I wish to submit that this Bill which seeks to find out the remedy for the present ills is confusion worse confounded. This is not the remedy at all. As it is, the original scheme of the Constitution is foolproof and knave-proof. If any person becomes a Minister who is not elected, he has got to get himself elected within six months, and it is not a defeated person. The Constitutional provisions are not meant for the defeated politicians. The Constitutional provisions as were originally framed by the founding-fathers were meant to give representation to those who cannot be elected in the first instance, and not the defeated politicians. Where is it laid down that if a person is defeated, he can become a Minister and at the same time get himself elected within six months? Where is that provision in the Constitution?

SHRI SRINIBAS MISRA : Clause 6.

SHRI R. D. BHANDARE : Go through it. (*Interruption*) Therefore, the reasons assigned at the time of moving this Bill and the reasons of those who have supported the Bill have no basis, and no rationale behind them. Therefore, I oppose the Bill, as the original provision in the Constitution is all right.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Mr. Chairman, Sir, the amending Bill moved by Shri Kanwar Lal Gupta appears to be very simple. But if one considers the provisions of the Constitution carefully, and the consequences thereof, it will not be difficult for one to come to the conclusion that the amendment proposed by Shri Kanwar Lal Gupta is not as simple as it appears to be.

With your permission, I will read article 75 which is sought to be amended:

"75(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the

other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

This is the relevant article :

(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.

(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

The learned proposer suggests that in the place of "either House," the words "Lok Sabha" may be substituted.

Then I come to article 164.

Article 164(4) reads :

"A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister."

It is very significant to remember what Shri Gupta says in his statement of Objects and Reasons to the Bill.

"Whereas it is expedient to ensure that the persons who have not been elected by the people in elections do not occupy the important positions which empower them to frame and work out the policy of the Government it is felt essential to amend the Constitution in this respect."

17.56 hrs

SHRI SHEO NARAIN : Sir, there is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister may resume his seat. The bell is being rung.... Now there is quorum.

श्री मधु लिमये : आज यह खत्म होना या नहीं होगा । श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : प्रधान मंत्री के ब्यान के बाद आप इस बिल को जल्दी से खत्म कर सकते हैं । हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं । हम सात बजे तक बैठ जायेंगे । इनका बिल तब लिया जा सकता है ।

सभापति महोदय : मिनिस्टर को खत्म तो करने दें । मिनिस्टर साहब जल्दी अपनी स्पीच खत्म करें ।

SHRI M. YUNUS SALEEM : It is not possible to finish my speech in two minutes. I will require at least 15 minutes because ten non. Members have expressed their views. I have to reply to all of them. It is not possible to do it in such a short time.

MR. CHAIRMAN : In that case, we will take it up the next available day.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : हमारे बिलों को खत्म करना चाहते हैं ।

श्री शिव नारायण : यह बड़ी ज्यादाती है ।

श्री मधु लिमये : प्रधान मंत्री के बयान के बाद मैं इसको ले सकते हैं ।

श्री रवि राय (पुरा) : मिनिस्टर साहब तीन चार मिनट में खत्म कर दें । गुप्त जी दो तीन मिनट ले । एक मिनट हमें आप दे दें ।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब अभी मन्द्रह मिनट और लेंगे ।

श्री मधु लिमये : वह एक घंटा ले सकते हैं ।

श्री रवि राय : क्यों जिद्द करते हैं ?

सभापति महोदय : छः बजे प्रधान मंत्री को स्टेटमेंट देना है जिस का एनाउंसमेंट पहले किया जा चुका है । उसके बाद श्री शास्त्री का हाफ एन आवर है । साढ़े छः बजे तक वह चलेगा । यह मजबूरी है जिमकी वजह से इसको नहीं लिया जा सकेगा ।

सभापति महोदय : अभी तो नहीं यह आ सकेगा ।

18 hrs.

STATEMENT RE. ECONOMIC DEVELOPMENT OF ASSAM

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Speaker, Sir, there has been a general demand from Assam for the establishment of additional refining capacity in the public sector. The Government of India have always been anxious to promote the accelerated economic development of Assam and have therefore treated Assam on a special basis in allocating Central assistance for its Plans. Government appointed an Expert Committee in April 1969, in order to examine the techno-economic feasibility of locating additional refining capacity in Assam. On consideration of the report of this Committee, Government have now decided that the present refining capacity in Assam should be increased by a little over one million tonnes in the Fourth Plan period, either through expansion or the establishment of an additional refinery, as may be found economically feasible.

The Government of India also recognise the need to take measures for the industrialisation of Assam based among other factors, on its oil resources. Assam crude oil is rich in aromatics which provide the base for the development of petro-chemicals. With the availability of adequate raw materials from the proposed increase in refining capacity, Government have also decided that an integrated DMT/Polyester fibre petro-chemicals complex should be established. Suitable provision for this refining-cum-petro-chemical complex will